भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
.....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 155
(22 नवम्बर, 2011 को उत्तर दिए जाने के लिए)

उत्तर प्रदेश में मनरेगस कोष के गबन की केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच

155. श्रीमती कुसुम रायः
श्री रशीद मसूदः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान अब तक उत्तर प्रदेश को आवंटित और जारी की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश में मनरेगस में गंभीर अनियमितताओं और भारी मात्रा में कोष का गबन अंतर्ग्रस्त पाया गया है;

(ग) यदि हां, तो जिला-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मनरेगस के कार्यों की निगरानी के लिए नियुक्त किए गए राष्ट्रीय स्तर के अनुवीक्षकों ने भी मनरेगस के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के बारे में अपने 22 प्रतिवेदनों में गंभीर अनियमितताओं का उल्लेख किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार इस मामले में सी.बी.आई. जांच कराने का विचार रखती है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रदीप जैन 'आदित्य')

(क) : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा) एक मांग आधारित कार्यक्रम है, न कि आबंटन आधारित। महात्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के राज्य रोजगार गारंटी कोष के लिए वर्ष 2010-11 में 5266.59 करोड़ रु0 और 2011-12 में 17.11.2011 तक 2349.06 करोड़ रु0 की राशि रिलीज की है।

(ख) और (ग) : उत्तर प्रदेश में महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन के संबंध में शिकायतें मिली हैं। दिनांक 10.11.2011 की स्थिति के अनुसार, मंत्रालय में विभिन्न व्यक्तियों एवं एजेंसियों से उत्तर प्रदेश के संबंध में प्राप्त लगभग 999 शिकायतों में से 419 शिकायतों को

निपटा दिया गया है। मंत्रालय में उत्तर प्रदेश के संबंध में प्राप्त शिकायतों का जिलेवार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(घ) और (ङ) : गंभीर प्रकृति की शिकायतों के मामले में मंत्रालय द्वारा शिकायतों की जांच के लिए राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं (एनएलएम) को नियुक्त किया जाता है। उनकी रिपोर्टों पर सुधारात्मक कार्रवाई करने के उद्देश्य से उन पर संबंधित राज्य सरकारों के साथ चर्चा की जाती है। अत्यधिक गंभीर अनियमितताओं का उल्लेख करने वाली 26 ऐसी एनएलएम रिपोर्टों को सुधारात्मक कार्रवाई हेतु उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार को भेजा गया है।

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि शिकायतों की जांच की जाती है और दोषियों के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। हाल ही में, राज्य ने आर्थिक अपराध शाखा को जिला बलरामपुर, गोंडा तथा महोबा में सामग्री की खरीद संबंधी शिकायतों की जांच करने को कहा है। आर्थिक अपराध शाखा को चित्रकूट, सुल्तानपुर तथा मथुरा जिलों में एक कार्यान्वयन एजेंसी के कार्य संबंधी शिकायतों की जांच करने के लिए भी कहा गया है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि राज्य शिकायतों को शीघ्र निपटाने के लिए सतत रूप से प्रयासरत है और दोषी अधिकारियों के विरूद्ध सख्त दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की गई है।

(च) और (छ) : चूंकि अधिनियम का कार्यान्वयन, राज्य सरकारों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उनके द्वारा तैयार योजनाओं के अनुसार किया जाता है, इसलिए मंत्रालय में प्राप्त सभी शिकायतों को कानून के अनुसार जांच करने सहित उपयुक्त कार्रवाई हेतु संबंधित राज्य सरकारों को भेजा जाता है। अधिनियम की धारा-18 के अनुसार, योजना के प्रभावी रूप से कार्यान्वयन हेतु जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं कार्यक्रम अधिकारियों को आवश्यक स्टॉफ एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी संबंधित राज्य सरकारों की है। इसलिए, कदाचार अथवा धोखाधड़ी के लिए जिम्मेवार अधिकारियों अथवा एजेंसियों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी संबंधित राज्य सरकार है।

शिकायतों के शीघ्र निपटान और राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं की रिपोर्टों पर सुधारात्मक कार्रवाई करने संबंधी मामला उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के साथ उच्चतम स्तर पर उठाया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्य में महात्मा गांधी नरेगा निधियों के अत्यधिक दुरूपयोग या दुर्विनियोजन को उजागर करने हेतु अनियमितताओं की केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने हेतु राज्य सरकार की सहमति के लिए भी अनुरोध किया है।

*****

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 22.11.2011 को उत्तर देने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न सं0 155 के भाग (ख) तथा (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्र.सं.	जिला	शिकायतों की सं0	क्र.सं.	जिला	शिकायतों की सं0
1	अलीगढ़	05	37	झांसी	06
2	आगरा	05	38	कानपुर	08
3	आजमगढ़	12	39	कन्नौज	04
4	इलाहाबाद	17	40	कौशाम्बी	02
5	औरैया	04	41	कांशीराम नगर	07
6	अम्बेडकर नगर	03	42	कुशीनगर	10
7	बांदा	07	43	लखनऊ	10
8	बस्ती	09	44	लखीमपुर खीरी	11
9	बाराबंकी	09	45	ललितपुर	08
10	बागपत	01	46	मोरादाबाद	08
11	बहराईच	16	47	मिर्जापुर	12
12	बरेली	13	48	मुजफ्फरनगर	07
13	बलरामपुर	06	49	मऊ	17
14	बिजनौर	06	50	मेरठ	03
15	बुलन्दशहर	12	51	मैनपुरी	07
16	बलिया	14	52	महामाया नगर	03
17	बदायुं	04	53	महाराजगंज	03
18	चित्रकूट	10	54	महोबा	03
19	सीएमएस नगर	03	55	मथुरा	13
20	चंदौली	16	56	पीलीभीत	04
21	देवरिया	06	57	प्रतापगढ़	11
22	एटा	05	58	रामपुर	02
23	इटावा	03	59	रामबाई नगर	10
24	फर्रुखाबाद	02	60	रायबरेली	13
25	फैजाबाद	04	61	सीतापुर	13
26	फतेहपुर	05	62	सिद्धार्थ नगर	15
27	फिरोजाबाद	01	63	सुल्तानपुर	16
28	गाजीपुर	11	64	सोनभद्र	17
29	गाजियाबाद	05	65	शाहजहांपुर	07
30	गोरखपुर	09	66	संत कबीर नगर	07
31	गौंडा	10	67	संत रविदास नगर	06
32	हरदोई	12	68	सहारनपुर	01
33	हमीरपुर	03	69	उन्नाव	11
34	जौनपुर	05	70	वाराणसी	12
35	ज्योतिबाफूले नगर	03		सामान्य/कॉमन	30
36	जालौन	07			